



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092025-266176
CG-DL-E-16092025-266176

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 591]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 15, 2025/भाद्र 24, 1947

No. 591]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 15, 2025/BHADRA 24, 1947

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2025

सा.का.नि.635(अ).— भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम(2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार त्रिपुरा सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमन, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन विनियमनों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) सातवां संशोधन विनियमन, 2025 कहा जाएगा।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमन, 1955 की अनुसूची में "त्रिपुरा" शीर्षक के लिए और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“त्रिपुरा

	राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद	59
	सरकार के मुख्य सचिव	1
	सरकार के मुख्य अपर सचिव	1
	सरकार के प्रधान सचिव	3
	महानिदेशक, राज्य लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान	1
	राज्यपाल के प्रधान सचिव	1
	प्रधान रेजिडेंट आयुक्त, त्रिपुरा भवन, नई दिल्ली	1
	मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव	1
	सरकार के सचिव	9
	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद	1
	रेजिडेंट आयुक्त, त्रिपुरा	1
	आयुक्त, विभागीय जांच	1
	सचिव, त्रिपुरा मानवाधिकार आयोग	1
	सचिव, लोक सेवा आयोग	1
	सरकार के अपर / संयुक्त / उपसचिव	8
	जिलाधिकारी एवं कलेक्टर	8
	निदेशक, उच्चतर शिक्षा	1
	निदेशक, विद्यालयी शिक्षा	1
	निदेशक, सतर्कता	1
	निदेशक, समाज कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा	1
	निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	1
	निदेशक, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त	1
	निदेशक, सूचना एवं सांस्कृतिक कार्य	1
	पंजीयक, सहकारी समितियां	1
	श्रम आयुक्त	1
	निदेशक, युवा मामले एवं खेल	1
	निदेशक, अनुसूचित जनजाति कल्याण	1
	निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण	1
	कर एवं आबकारी आयुक्त	1
	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	1

	निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी	1
	निदेशक, हथकरघा, हस्तशिल्प एवं रेशम उत्पादन	1
	निदेशक, योजना एवं समन्वय	1
	निदेशक, नगरीय विकास	1
	नगरपालिका आयुक्त, अगरतला नगर निगम	1
	निदेशक, कौशल विकास	1
1	कुल वरिष्ठ झूटी पद	59
2	केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, जो उपरोक्त मद1 के 40% से अधिक नहीं होंगे	23
3	राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, जो उपरोक्त मद1 के 25% से अधिक नहीं होंगे	14
4	प्रशिक्षण रिजर्व, जो उपरोक्त मद1 के 3.5% से अधिक नहीं होंगे	02
5	छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व, जो उपरोक्त मद1 के 16.5% से अधिक नहीं होंगे	9
6	भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के तहत, पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद, जो उपर्युक्त मद1, 2, 3 व 4 के 33 1/3% से अधिक नहीं होंगे	32
7	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद1 + 2 + 3 + 4 + 5-6)	75
	कुल प्राधिकृत पद संख्या	107

[फा.सं. 11031/05/2023- अ.भा.से.-II (क)]

भूपिन्दर पाल सिंह, अवर सचिव

टिप्पणी1: इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, भारतीय प्रशासनिक सेवा त्रिपुरा संवर्ग की कुल प्राधिकृत पदसंख्या 102 थी।

टिप्पणी2: प्रधान विनियम दिनांक 22 अक्टूबर, 1955 की एस.आर.ओ. सं. 3350 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात, भारतीय प्रशासनिक सेवा त्रिपुरा संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा संशोधित किया गया था:-

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तारीख	क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तारीख
1.	21	12.01.1974	12.	1242	15.12.1984
2.	724	13.07.1974	13.	294	16.04.1988
3.	233(अ)	17.03.1976	14.	5	09.12.1993
4.	44(अ)	28.01.1977	15.	21(अ)	05.01.2000
5.	867	09.07.1977	16.	230	12.06.2000
6.	665	27.05.1978	17.	232(अ)	27.03.2008
7.	1325	11.11.1978	18.	188	24.03.2009
8.	471	31.03.1979	19.	71(अ)	10.02.2010
9.	769	26.07.1980	20.	603(अ)	06.09.2013
10.	702(अ)	17.12.1980	21.	1428(अ)	17.11.2017
11.	609	17.07.1982			

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Personnel and Training)
NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2025

G.S.R. 635(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (2) of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of **Tripura**, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:-

1. (i) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of cadre Strength) Seventh Amendment Regulations, 2025.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading “**Tripura**” and the entries occurring there under, the following shall be substituted namely:-

“Tripura

	Senior Duty Posts under the State Government	59
	Chief Secretary to Government	1
	Additional Chief Secretary to Govt.	1
	Principal Secretary to Government	3
	Director General, State Institute of Public Administration of Rural Development	1
	Principal Secretary to Governor	1
	Principal Resident Commissioner, Tripura Bhawan, New Delhi	1
	Principal Secretary to Chief Minister	1
	Secretary to Government	9
	Chief Executive Officer, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council	1
	Resident Commissioner, Tripura	1
	Commissioner for Departmental Inquiries	1
	Secretary, Tripura Human Rights Commission	1
	Secretary to Public Service Commission	1
	Additional /Joint/Deputy Secretary to Govt.	8
	District Magistrate & Collector	8
	Director of Higher Education	1
	Director of School Education	1
	Director of Vigilance	1
	Director of Social Welfare & Social Education	1
	Director of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs	1
	Director of Land Records and Settlement	1
	Director of Information, Cultural Affairs	1
	Registrar of Co-operative Societies	1

	Labour Commissioner	1
	Director, Youth Affairs Sports	1
	Director of Welfare for Scheduled Tribes	1
	Director of Welfare for Scheduled Castes & OBC	1
	Commissioner of Taxes & Excise	1
	Director of Industries & Commerce	1
	Director, Information Technology	1
	Director of Handloom, Handicrafts & Sericulture	1
	Director, Planning & Coordination	1
	Director, Urban Development	1
	Municipal Commissioner, Agartala Municipal Corporation	1
	Director, Skill Development	1
1.	Total Senior Duty Posts	59
2.	Central Deputation Reserve not exceeding 40% of item 1 above	23
3.	State Deputation Reserve not exceeding 25% of item 1 above	14
4.	Training Reserve not exceeding 3.5% of item 1 above	2
5.	Leave Reserve and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of item 1 above	9
6.	Posts to be filled by promotion under Rule 8 of The Indian Administrative Service(Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33 1/3% of item 1,2,3 & 4	32
7.	Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6)	75
	TOTAL AUTHORIZED STRENGTH	107"

[F. No. 11031/05/2023- AIS-II (A)]

BHUPINDER PAL SINGH, Under Secy.

Note (1): Prior to issue of this notification, the Total Authorized Strength of Tripura Cadre was 102.

Note (2): The principal regulations were published in the Gazette of India vide SRO No. 3350 dated 22nd October 1955. These were subsequently amended in respect of the West Bengal Cadre by the following GSR No. and date:-

S.No.	G.S.R. No.	Date	S.No.	G.S.R. No.	Date
1.	21	12.01.1974	12.	1242	15.12.1984
2.	724	13.07.1974	13.	294	16.04.1988
3.	233E	17.03.1976	14.	5	09.12.1993
4.	44E	28.01.1977	15.	21E	05.01.2000
5.	867	09.07.1977	16.	230	12.06.2000
6.	665	27.05.1978	17.	232E	27.03.2008
7.	1325	11.11.1978	18.	188	24.03.2009
8.	471	31.03.1979	19.	71E	10.02.2010
9.	769	26.07.1980	20.	603(E)	06.09.2013
10.	702E	17.12.1980	21.	1428(E)	17.11.2017
11.	609	17.07.1982			